

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/SBPDCL-03/2019

/पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),  
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:-

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रुपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रुपये का 10% अर्थात् 34.654 करोड़ (चौतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रुपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में हिस्सा पूँजी के विरुद्ध 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-556 दिनांक-25.02.2019 के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन भागलपुर, गया, बोधगया शहर (पूर्व वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र) एवं आरा में इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अन्तर्गत वितरण की संरचना के विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 346.54 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चौवन लाख) रुपये की अनुमोदित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 346.54 करोड़ रुपये का 60% अर्थात् 207.924 करोड़ (दो सौ सात करोड़ बानवे लाख चालीस हजार) रुपये भारत सरकार द्वारा अनुदान, 10% अर्थात् 34.654 करोड़ (चौतीस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार) रुपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत 103.962 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ छियानवे लाख बीस हजार) रुपये वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति एवं गारंटी। पावर सब-स्टेशन के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में होने वाले वास्तविक खर्च की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य योजना से करने की स्वीकृति तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में साउथ बिहार पावर डि० कं० लि० को 10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि 10.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में 15.00 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में हिस्सा पूँजी के विरुद्ध 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश उपशीर्ष-0111 बिहार स्टेट पावर(हो०) कं० लि० विपत्र कोड-10-4801051900111 विषय शीर्ष-5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-03/2019 के पृष्ठ संख्या-09/टि० पर दिनांक-18.02.2019 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-03/2019 पृष्ठ संख्या-16/टि० पर दिनांक-22.08.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-03/2019

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-03/2019 2333

/पटना, दिनांक- 02/10/19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।